कार्यालय कलेक्टर (पंजीयन शाखा) जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक / 07 / जि.पंजी. / 2020 बलौदाबाजार, दिनांक21.03.2020

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 1444 / वाक.(पं.) / पांच नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2020 द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के समस्त पंजीयन कार्यालयों को दिनांक 23.03.2020 से 25.03.2020 तक बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

21-03-2020

कलेक्टर
बलौदाबाजार–भाटापारा

पृ. क्रमांक / 137 / जि.पंजी. / 2020 बलौदाबाजार, दिनांक21.03.2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर(पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ / कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक संचालक जनसंपर्क बलौदाबाजार–भाटापारा को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
5. जिला पंजीयक, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
6. उप पंजीयक(समस्त) , जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को पालनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
बलौदाबाजार–भाटापारा

Scanned by CamScanner